चौथी अनुसूची

(धारा 81 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के उपबंध जिसका संशोधन किया जाना है	**संशोधन**	**संशोधन के प्रभाव की अवधि**
(1)	(2)	(3)
तारीख 22 सितंबर, 1994 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 699(अ) द्वारा यथा प्रतिस्थापित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का नियम 12 ।	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 के उपनियम (1) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "परंतु यह और कि कारखाने से निर्यात के लिए निकाले गए उत्पाद-शुल्क्य माल पर संदत्त शुल्क की रिबेट संदत्त शुल्क के उस भाग के लिए भी अनुज्ञेय होगी जिसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999] सा.का.नि. 509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999] के निबंधनों के अनुसार प्रतिदाय अनुदत्त किया गया है ।"।	8 जुलाई, 1999 से 30 जून, 2001 तक (दोनों दिनों सहित)।

http://indiabudget.nic.in